<u>सिविल जज (जू0डि0) ठाकुरद्वारा।</u>

मूल वाद सं0–69/2014

कमरूद्दीन बनाम नसीमजहॉ आदि

<u>29.05.2019</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनापत्र 18ग पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थनापत्र 18ग द्वारा वादी इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त वास्ते डिक्लेअरेशन न्यायालय श्रीमान जी में दायर किया गया है। जिसमें प्रार्थी द्वारा 180/–रू0 का न्यायशुल्क अदा किया गया है। जो कि न्यूनतम निर्धारित न्यायशुल्क 200/–रू0 से 20/–रू0 कम है। इसलिए प्रार्थी शेष न्यायशुल्क 20/–रू0 न्यायालय श्रीमान जी में जमा किया जा रहा है। जिसको स्वीकार/ग्रहण किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध प्रतिवादनी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र वादी विधि विरूद्ध है, विपरीत तथ्यों पर आधारित है। वादी द्वारा जान बूझकर वाद की कार्यवाही को बिलम्बित किया जा रहा है जो कि न्यायिक कार्य में बाधा पहुॅचाने के तुल्य है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सद्भावना पर आधारित नहीं है तथा पॉच साल बाद प्रस्तुत प्रार्थनापत्र न्यायालय में दिये जाने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है इस कारण भी प्रार्थनापत्र एवं वादपत्र निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकनार्थ स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद डिक्लेरेशन हेतु योजित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र 18ग, 180/–रू0 का न्यायशुल्क अदा किया गया है। जो कि न्यूनतम निर्धारित न्यायशुल्क 200/–रू0 से 20/–रू0 कम है। इसलिए प्रार्थी शेष न्यायशुल्क 20/–रू0 न्यायालय श्रीमान जी में जमा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 18ग न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 18ग स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते दिनांक 10.07.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0)
ठाकुरद्वारा।

पुनः पेशः–

पत्रावली पुनः पेश हुई। उभय पक्ष को प्रार्थनापत्र 24क पर सुना गया। निस्तारण 24क हेतु लंच बाद पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0)
ठाकुरद्वारा।

लंच बाद

निस्तारण प्रार्थनापत्र 24कः–

प्रार्थनापत्र 24ग द्वारा वादी इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं0–2 खेमपाल सिंह की मृत्यु दिनांक 08.06.2017 को दौराने वाद हो गयी है। उनके दो पुत्र समरेन्द्र प्रताप सिंह व रमनदीप सिंह हैं तथा समरेन्द्र प्रताप सिंह की भी मृत्यु हो गयी है उसके वारिस पुत्र अभिरल प्रताप सिंह , अभय प्रताप सिंह व विधवा अर्चना देवी है। जिन्हें वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उपरोक्त कथन करते हुए मृतक खेमपाल सिंह के स्थान पर उसके जायज वारिस रमनदीप सिंह उम्र करीब 35 वर्ष, अभिरल प्रताप सिंह उम्र करीब 12 वर्ष पुत्र समरेन्द्रपाल सिंह, नाबालिग संरक्षिका अर्चना देवी माता सगी व अभय प्रताप नाबालिग उम्र करीब 17 वर्ष पुत्र समेन्द्रपाल सिंह संरक्षिका अर्चना देवी माता सगी एवं अर्चना देवी विधवा समरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम डिलारी तहसील ठाकुरद्वारा के पक्षकार बनाये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य विदित हुआ कि प्रतिवादी खेम सिंह की मृत्यु दिनांक 08.06.2017 को हो गयी थी, प्रार्थनापत्र 25 ग अन्तर्ग्रत धारा–5 मियाद अधिनियम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी का मृतक के वारिसान पर वाद चलाने का अधिकार बनता है। माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से सुस्थापित सिद्धान्त उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रार्थनापत्र हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है जहॉ तक बिलम्ब का प्रश्न है तो उसकी क्षतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 24क हर्जा 200/–रू0 पर स्वीकार किया जाता है, तदानुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है प्रार्थनापत्र के प्रकाश में हर्जा अदा कर संशोधन अन्दर सप्ताह करें पत्रावली नियत दिनांक 18.07.2019को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0)
ठाकुरद्वारा